प्रेषक,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः राशै0/ 5115-85 /**2026-27** **दिनांकः** 15/05/2026

विषयः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् डी0एल0एड0 प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के पत्रांक संख्या-टी06-56, 2196/2025-26 दिनांक 14.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/मान्यता प्राप्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् डी0एल0एड0 प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के संबंध में प्रदेश के समस्त डी0एल0एड0 संस्थानों में स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स के नाम से प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन कराये जाने के निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

प्रादेशिक मुख्य आयुक्त, उ0प्र0, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 14.01.2026 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहित निजी डी0एल0एड0 संस्थानों के प्रशिक्षणरत डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं को स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें साथ ही आप स्वयं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी के रूप में नेतृत्व करते हुए उक्त प्रशिक्षण भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय,

15/5/2026

(गणेश कुमार)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0: रा0शै0/ 5115-85 /2026-27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, गोल मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षुओं से लिया जाने वाला प्रशिक्षण शुल्क सम्बन्धी सूचनाओं के उत्तर दायित्व का सम्बन्ध प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश, गोल मार्केट लखनऊ से है (उनके विस्तृत दिशा-निर्देश पत्रांक एस0जी0-98/281/2023-24 दिनांक 01.05.2023 के क्रम में)। अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शुल्क सम्बन्धी सूचनाओं के प्रेषण का उत्तरदायित्व, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश, गोल मार्केट, लखनऊ (उ0प्र0)-226006 में निहित होगा।

15/5/2026

(गणेश कुमार)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ – 226006

रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

फोन : 0522-4323838, मो० नं० : 9839392275

पत्रांक संख्या - TG-SG/2196/2025-26 दिनांक 14-01-2026

प्रेषक,

प्रादेशिक मुख्यायुक्त,
भारत स्काउट और गाइड,उ०प्र०

सेवा में,

श्री गणेश कुमार
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०
लखनऊ।

विषय – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / मन्यता प्राप्त डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओ के अनिवार्य स्काउटिंग /गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं सुयोग्य नागरिकता के प्रशिक्षण के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्काउटिंग / गाइडिंग के प्रशिक्षण का एक विशिष्ट स्थान है।

इस आलोक में प्रदेश के समस्त डी०एल०एड० संस्थानो में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के नाम से प्रशिक्षण शिविरो के आयोजन हेतु आपके स्तर से समय -समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहे है। **संलग्नक-(1)**

आपके स्तर से निर्देशो का प्रसारण प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/मान्यता प्राप्त डी०एल०एड० संस्थानों के लिए अभी तक न हो पाने के कारण प्रशिक्षण का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित नही हो पा रहा है। इस अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पत्रांक -एस०जी -98 /281/2023-24 दिनांक 01/05/2023 निर्गत करते हुए प्रतिलिपि आपकी सेवा में प्रेषित की गयी है। **संलग्नक-(2)**

अतः अनुरोध है कि समस्त जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान / डी०एल०एड० संस्थानो में अनिवार्य रुप से स्काउटिंग /गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि समस्त प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० को यह भी निर्देशित किया जाय कि वह नोडल अधिकारी के रुप में नेतृत्व करते हुए यह प्रशिक्षण भारत स्काउट और गाइड,उ०प्र० के माध्यम से ही कराएं।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

भवदीय,

(डॉ० प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड,उ०प्र०

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रादेशिक आयुक्त,भारत स्काउट और गाइड उ०प्र०।
2. प्रादेशिक सचिव,भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
3. प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड),भारत स्काउट और गाइड उ०प्र०।
4. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट /गाइड),भारत स्काउट और गाइड,उ०प्र०।

(डॉ० प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गा[illegible]

प्रेषक,

संलग्नक -1.

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

STC(G)
पुनर्वार्ता
18/11/26

पत्रांकःराशै0/ 24376-446 /2023-24 दिनांकः 13 सितम्बर, 2023

विषयः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग /गाइडिंग प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के पत्रांक एस0जी0-98/990/2023-24 दिनांक 04.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के संबंध में प्रदेश के समस्त डी0एल0एड0 संस्थानों में स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स के नाम से प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु वर्ष 2023-24 के लिये विस्तृत दिशानिर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहित निजी डी0एल0एड0 संस्थानों के डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं को स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

6506
13-1-26

भवदीय,
13-09-2023
(मनोज कुमार अहिरवार)
सहायक शिक्षा निदेशक
कृते निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0 राशै0/ 24376-446 /2023-24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

13-09-2023
(मनोज कुमार अहिरवार)
सहायक शिक्षा निदेशक
कृते निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

P.T.O.

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

फोन : 0522-4323838
9839392275

संलंग्नक – 2

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, मीरा मार्केट, महानगर, लखनऊ – 226006

E-mail : upscoutguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक	उप मुख्य संरक्षक	अध्यक्ष	मुख्यायुक्त
माननीय श्री राज्यपाल उ० प्र०	माननीय मुख्यमंत्री उ० प्र०	डा०महेन्द्र सिंह [illegible] उ० प्र०	डा० प्रभात कुमार [illegible] पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या : SG 98 / 281 /2023-24 दिनांक 1/05/2023

1– समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
2– समस्त जिला सचिव
भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।

विषय:- बी0एड0/डी0एल0एड0 संस्थानों में अध्ययनरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यालय के पूर्व में निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। पूर्व में निर्गत वे समस्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वर्ष 2023–24 के लिए नये दिशा निर्देश संलग्न कर निर्गत किये जा रहे हैं।

2– वर्ष 2023–24 से बी0एड0/डी0एल0एड0 संस्थानों में स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण की कार्यवाही अर्थात् शिविरों की अनुमति, शिविरोंपरान्त सूची भेजना एवं सूची के अनुरूप प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य आनलाइन ही होगें।

3– उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि निर्गत दिशा निर्देशों का गम्भीरता से अवलोकन करते हुए कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। निर्गत दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

संलग्नक – दिशा निर्देश ।

भवदीय,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0
2. समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय,उ0प्र0।
3. निदेशक, राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निशातगंज,लखनऊ।
4. समस्त सहायक प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
5. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
6. प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
7. प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0।
9. समस्त जिला मुख्यायुक्त/जिला आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
10. समस्त जिला प्रशिक्षण/संगठन आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
11. समस्त जिला स्काउट मास्टर (बेसिक)/जिला गाइड कैप्टन (बेसिक),उ0प्र0।
12. समस्त डी0एल0एड0/बी0एड0 संस्थान,उ0प्र0।
13. आई0टी0 सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स वर्ष 2023-24 (बी0एड0/डी0एल0एड0) के आयोजन हेतु दिशा निर्देश :-

1. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षार्थियों हेतु निर्धारित है।
2. बी0एड0 डी0एल0एड0 शिविरों मे एल0ओ0सी0 एवं स्टाफ की नियुक्ति निम्नानुसार होगी:-
   (1)-एल0ओ0सी0 एल0टी0, ए0एल0टी0 अथवा हिमालय वुडबैज।
   (2)-सहायक स्टाफ (स्का0 विंग) - एडवांस कोर्स/जिला संगठन कमिश्नर्स/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर्स/काउन्सलर्स।
   (3)-सहायक स्टाफ (स्का0 विंग) - एडवांस कोर्स/जिला संगठन कमिश्नर्स/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर्स/काउन्सलर्स।
3. बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने का दायित्व सहायक प्रादेशिक सगठन कमिश्नर(स्का0/गा0) का होगा। सहायक प्रादेशिक सगठन कमिश्नर(स्का0/गा0) मण्डल के सम्बन्धित जनपदो मे प्रशिक्षक नियुक्त करने मे जिला सचिव एव जिला प्रशिक्षण कमिशनर (स्काउट/गाइड) का सहयोग प्राप्त करेगें।
4. बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविर मे प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की सूची एकरूपता की दृष्टि से प्रादेशिक मुख्यालय को संलग्न प्रारूप के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑन लाइन प्राप्त करायी जाय। इसी के आधार पर प्रादेशिक मुख्यालय से आन लाइन प्रमाणपत्र निर्गत होगें।
5. प्रत्येक बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरों का जनपदीय एवं प्रादेशिक अश जिला एव प्रदेश कोष मे जमा कराने का शतप्रतिशत् दायित्व सम्बन्धित मण्डल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) का होगा। यदि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता या नियमों की अवहेलना पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक सगटन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) का होगा।
6. शुल्क एवं सूची प्रादेशिक मुख्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 05 कार्यदिवस के भीतर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रमाणपत्र जिला संस्थान/सम्बन्धित संस्था को अनिवार्य रूप से आनलाइन ही प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम दो प्रशिक्षक (एक महिला एक पुरूष) और अधिकतम 4 प्रशिक्षक (महिला प्रशिक्षक/पुरूष प्रशिक्षक का अनुपात संस्था के प्रतिभागी संख्या के आधार पर) ही नियुक्त होगें।
8. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु समयावधि 5 दिन की होगी।
9. कोर्स में प्रतिभागी संस्थान के गणवेश में ही प्रतिभाग करेगें।
10. केवल स्कार्फ एवं वागेल शिविर अवधि में पहनना अनिवार्य होगा, जो भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेगे।
11. प्रशिक्षण शिविरों की अनुमन्यता का कार्य सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र अर्थात् जुलाई से जून की अवधि में किये जायेगें। शत् प्रतिशत् सफलता के लिए प्रत्येक तीन माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य किया जायेगा जो निम्नवत् होगा:-
   (क) -जुलाई से सितम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानो की संख्या का 25 प्रतिशत्।
   (ख) -अक्टूबर से दिसम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानो की संख्या का 35 प्रतिशत्।
   (ग) -जनवरी से मार्च तक सम्पूर्ण संस्थान की संख्या का 20 प्रतिशत्।
   (घ) -अप्रैल से जून तक सम्पूर्ण संस्थान की संख्या का 20 प्रतिशत्।
12. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु निम्नविवरणानुसार शुल्क लिया जायेगा और व्यय किया जायेगा:-
   -शिविर शुल्क रू0-1000/-प्रति प्रतिभागी।(जिसका विवरण निम्नवत् होगा): -
   अ-प्रदेश अंश - रू0-350/-प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते मे स्थानान्तरित की जायेगी।
   रू0 -50/- प्रति प्रतिभागी वैलफेयर फण्ड हेतु संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरत की जायेगी।
   ब-जिला अंश - रू0-150/-प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे जिले के खाते मे स्थानान्तरित की जायेगी।
   स-संस्थान अंश-रू0-450/-प्रति प्रतिभागी, जिसमें से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जायेगा:-
   (अ)-लीडर ट्रेनर - रू0-600/प्रति दिन।
   (ब)-सहायक लीडर ट्रेनर - रू0-550/प्रति दिन।
   (स)-हिमालय वुडबैज होल्डर-रू0-500/प्रति दिन।
   (द)-एडवांस कोर्स - रू0-400/प्रति दिन।
   (य)-मार्ग व्यय - रू0-100/प्रति दिन की दर से।
   (र)-प्रशिक्षक अवधि में प्रशिक्षकों के आवश्यक आतिथ्य सत्कार का दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

-----2/-

13. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को प्रादेशिक संस्था का संस्थागत सदस्य बनाये जाने के लिए प्रति संस्थान रू0-5,000/-(केवल एक बार) के साथ आवेदन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। शिविर अनुमन्यता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति के समय इस बिन्दु का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
14. सत्र 2023-24 में 01 अप्रैल,2023 से प्रारम्भ होने वाले बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरों के प्रमाणपत्र सहित समस्त कार्यवाही आनलाइन ही सम्पन्न होगी।
15. डी0एल0एड0 शिविरो हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।
16. बी0एल0एड0(बी0एड0) शिविरों के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा संकाय (डीन एजूकेशन फैकेल्टी)/कुल सचिव या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।
17. मण्डलीय सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्तगण बिन्दु 15 एवं 16 मे वर्णित नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए कार्य करेगे।

पाठ्यक्रम -(डी0एल0एड0/बी0एड0 डी0पी0एड0/बी0पी0एड0)

1. स्काउटिंग गाइडिंग के आधारभूत तत्व।
2. स्काउटिंग गाइडिंग की उत्पत्ति एवं प्रसार।
3. स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न शाखाएं।
4. कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड रोवर/रेंजर के विकास के कार्यक्रम।
5. यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
6. गॉठ एवं बन्धन (द्वितीय सोपान तक)
7. ध्वज शिष्टाचार(कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पृथक पृथक)
8. वर्दी, स्मार्टनेस, गुड आर्डर एवं संकेत।
9. दिशा ज्ञान, खोज के चिन्ह, अनुमान लगाना।
10. कैम्पिंग एवं हाइकिंग।
11. समारोह एवं प्रदर्शन।
12. विभिन्न प्रकार के अलंकरण/पुरस्कार ।
13. अर्न्तराष्ट्रीय परियोजनाए जैसे-मैसेन्जर्स आफ पीस, सर्फरस्मार्ट, फ्रीबीइंग मी. आदि।
14. प्राथमिकता सहायता।

---x---

भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0

प्रादेशिक मुख्यालय गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

मण्डल ....

जनपद ....

महाविद्यालय/संस्थान का नाम .... Email I.D: ....

शिविर की तिथियों .... से .... तक

प्रतिभागी–छात्राध्यापक [ ] छात्राध्यापिकाएं [ ] कुल योग [ ]

कोर्स स्टाफ का विवरण (स्काउट विंग)

कम	नाम प्रशिक्षक	पद/दायित्व	स्काउटिंग में योग्यता	मो0नं0
1		शिविर संचालक		
2		सहायक		

कोर्स स्टाफ का विवरण (गाइड विंग)

कम	नाम प्रशिक्षिका	पद/दायित्व	गाइडिंग में योग्यता	मो0नं0
1		शिविर संचालिका		
2		सहायिका		

बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शुल्क भुगतान हेतु निर्देश :–

1. महाविद्यालय को केवल रू0–550/प्रति छात्र प्रशिक्षण शुल्क देना है, जिसमें से 350/– एंव रू0 50/– कुल रू0 400/–प्रति छात्र/छात्रा प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0 के नाम ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तथा रू0–150/–प्रति छात्र/छात्रा जिला संस्था के नाम चेक/ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।
2. प्रादेशिक मुख्यालय को देय धनराशि प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0, लखनऊ के नाम से बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदेश के खाते में निम्नानुसार भेजी जाय:–

खाते का नाम	:	प्रादेशिक सचिव,उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
खाता संख्या	:	10122401342
बैंक का नाम	:	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा का नाम	:	जवाहर भवन, लखनऊ
आई0एफ0एस0 कोड	:	SBIN0006144

3. पाँच दिवसीय शिविर अवधि में प्रशिक्षकों के जलपान/भोजन/मानदेय की व्यवस्था महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की जायेगी।

जिला संस्था की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अंश रू0 ....(शब्दों में) ....बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक ....को जिला संस्था के कोष में प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय के पक्ष में जिला संस्था की रसीद सं0....................दिनांक ....निर्गत की गई।

ह0 जिला सचिव

नाम :-.................. ....

मुहर

प्रादेशिक संस्था के प्रयोगार्थ :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदेश अंश रू0..................(शब्दों में) ....बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक ....को प्रादेशिक संस्था के खाते में जमा किया गया। महाविद्यालय/जिला संस्था के पक्ष में रसीद सं0-..............दि0..............निर्गत की गई।

लेखाकार,
भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0